मौजूदा करंसी की शरई हैसियत

उन्नीसवां फ़िक़्ही सेमिनार (हांसोट, गुजरात) दिनांक 27-30 सफ़र 1431 हिजरी, 12 - 15 फरवरी 2010 ई॰ को आयोजित हुआ।

विलम्बित मांगों और बकाया जात को मुल्यों के अनुमान या सोने चांदी के मूल्य से मिलाना सही नहीं है, इसलिए कि अनुमान यह गहरे कलापूर्ण उसूलों और भ्रम व अनुमान पर आधारित होने के कारण अमल योग्य भी नहीं हैं और अत्यन्त विवाद का कारण हो सकते हैं, और दोनों सूरतों में सूद का दरवाज़ा भी खुल सकता है।

2- बेहतर है कि महरे मोअज्जल सोने या चांदी में मुक़र्रर किया जाए जैसा कि इससे पहले भी अकेडमी फैसला कर चुकी है। ऐसी सूरत में अदाइगी के समय निर्धारित मात्रा में सोना या चांदी अदा करनी होगी, और यदि उस समय दोनों वादी इतनी मात्रा के सोना या चांदी की कीमत के पैसों की अदाएगी पर सहमति कर लें तो, यह भी वैद्य है यही हुक्म उस समय भी होगा जबकि किसी वस्तु की मज़दूरी या क़ीमत सोने या चांदी में तय की जाए।

☆☆☆